राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक :एफ 7 (2)( )/राछा/सान्याअवि/15/ 18921 जयपुर,दिनांक 26.3.2015

आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में आवश्यक खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 4.9.2013 में वर्णित आईटम संख्या 23 व 32 में विहित शर्तो के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2015-16 से राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर से परिशिष्ठ- 'अ' पर वर्णित वस्तुएं क्रय किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-

1. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर द्वारा सान्याअवि के आदेशानुसार सामान की आपूर्ति/सुपुर्दगी संबंधित छात्रावास/आवासीय विद्यालयों में की जानी होगी।
2. आदेश की वर्णित समस्त सामग्री के सन्तोषपूर्ण ढंग से सही हालत में आदेशित स्थान तक आपूर्ति कर दिये जाने एवं उसकी पुष्टि में विधिवत स्पष्ट रसीद प्राप्त कर सामग्री प्रदायगी के साथ संलग्न कर सान्याअवि को प्रस्तुत करनी होगी, जिसकी पूर्ण जांच कर सही पाये जाने व विभाग की सन्तुष्टि के पश्चात् नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।
3. सामान की आपूर्ति विभाग द्वारा अनुमोदित सूची/दरों के अनुसार की जावेगी।
4. छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में आपूर्ति किए गए निर्धारित सामान के लिए प्रतिमाह प्रति आवासी परिवहन राशि सहित अधिकतम राशि 1014.91 रूपए विभाग द्वारा देय होगी।
5. सामग्री की गुणवत्ता की पुष्टि में सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा सामग्री प्रदायगी पश्चात् भुगतान हेतु बिल विभाग को प्रस्तुत किये जाते समय संबंधित सामग्री की एनालिसिस रिपोर्ट मय गुणवत्ता की पुष्टि हेतु राष्ट्रीय प्रयोगशाला अनुसंधान प्रत्यापन बोर्ड (N.A.B.L.) द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट संलग्न करना आवश्यक होगा।
6. विभाग के अधिकारियों को समय-समय पर सामग्री को निरीक्षण करने का अधिकार होगा। निरीक्षण करने के दौरान लिए गए नमूनों की जांच में जो वस्तुऐं अनुमोदित सूची के अनुरूप नहीं पाई जाएंगी, उन्हें रद्द किया जायेगा तथा सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जायेगा।

M 26.3.15

12. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा संबंधित जिले में आपूर्ति किये गये सामान का विवरण संबंधित विभागीय जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा। जिलाधिकारी/प्राचार्य आपूर्ति किये गये सामान की छात्रावासवार/आवासीय विद्यालयवार ऑनलाइन प्रविष्टि अंकित करेंगे तथा उसकी स्कैन कॉपी मय अग्रेषण पत्र के निदेशालय को प्रेषित करेंगे।

13. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रति सप्ताह आपूर्ति किये गये सामान का बिल निदेशालय को प्रस्तुत किया जावेगा, जिसका भुगतान विभाग द्वारा बिल प्राप्ति के 7 दिवस की अवधि में किया जावेगा।

14. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा सामान की रवानगी की सूचना छात्रावास अधीक्षक/प्राचार्य को देने पर सामान पहुंचते ही छात्रावास अधीक्षक/प्राचार्य द्वारा सामान को उसी दिन खाली करवाकर प्राप्ति रसीद देनी होगी।

15. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रथम मांग पत्र आपूर्ति की निर्धारित तिथि से 60 दिवस पूर्व उपलब्ध कराया जाना होगा। तदुपरान्त प्रत्येक 15 दिवस में मांग पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

26.3.15

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक

क्रमांक :एफ 7 (2) ( )/राछा/सान्याअवि/15/ 18922-920 जयपुर,दिनांक 26.3.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर।
3. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज. जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
6. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
7. निजी सहायक, अति. निदेशक (अनु. जाति/जनजाति) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. जिला कलक्टर (समस्त)
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
11. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
12. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), मुख्यावास।
13. अतिरिक्त निदेशक (अनु. जाति/जनजाति कल्याण) मुख्यावास।
14. संयुक्त निदेशक (योजना), मुख्यावास।
15. उप निदेशक (राईस), मुख्यावास।
16. सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।
17. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय (समस्त)
18. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समस्त)
19. प्राचार्य, आवासीय विद्यालय (समस्त)
20. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को उपरोक्त सभी को ई-मेल करवाने हेतु।
21. आदेश पत्रावली।

26/3/15

(डॉ. हर सहाय मीणा)
अतिरिक्त निदेशक
(अनु.जाति/जनजाति कल्याण)

परिशिष्ट – 'अ'

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : क्रमांक :एफ 7 (2)( )/राछा/सान्याअवि/15/ 18821

जयपुर,दिनांक 26.3.2015

विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावास/आवासीय विद्यालयों के लिए कानफैड द्वारा प्रति आवासी प्रतिमाह आपूर्ति की जाने वाली खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं तथा उनके लिए निर्धारित दरों का मदवार विवरण

Sr. No.	Name of Commodity	Approx. demand per day	In Kg./Pcs/Packet/Ml. per day	Approx. demand per month Kg./ml./Pcs/Packet	Rate (Kg./ml./Pcs/ Packet)	Total Amount
1	Wheat	0.400	Kg.	12.000	20.00	240.00
2	Rice Basmati	0.050	Kg.	1.500	62.00	93.00
3	Moong Moger (Polished)	0.010	Kg.	0.300	116.00	34.80
4	Urad Moger (Polished)	0.010	Kg.	0.300	98.00	29.40
5	Arhar Dal Polished (Tuar)	0.010	Kg.	0.300	90.00	27.00
6	Chana Dal (Polished)	0.010	Kg.	0.300	50.00	15.00
7.	Poha	0.050	Kg.	1.500	50.00	75.00
8	Sugar (Twice in a month)	0.100	Kg.			
	Sugar (Daily)	0.020	Kg.	0.700	31.00	21.70
9	Tea Leaf	0.005	Kg.	0.150	205.00	30.75
10	Kala Chana (3 times in a month)	0.050	Kg.	0.150	46.00	6.90
11	Chhole Chana	0.050	Kg.	0.200	72.00	14.40
12	Biscuit 0.050 Gm./Packet (Cream/Meetha)	1	Packet	30.00	6.00	180.00
13	Suzi (Twice in a month)	0.050	Kg.			
14	Besan (4 time in a month)	0.050	Kg.	0.100	30.00	3.00
15	Bath Soap (100 Gm./Pcs)	1	Pcs.	0.200	55.00	11.00
16	Washing Soap (100 Gm./Pcs)	1	Pcs.	1	18.00	18.00
				2	9.00	18.00
17	Tooth Paste (Pcs.)	0.050	Kg.			
18	Edible Oil Soyabean	0.020	ml.	1	36.00	36.00
19	Ghee (Twice in a month)	0.050	Kg.	0.600	70.00	42.00
20	Turmeric Powder	0.002	Kg.	0.100	360.00	36.00
21	Red Chiilly Powder	0.005	Kg.	0.060	195.00	11.70
22	Zeera	0.001	Kg.	0.150	190.00	28.50
23	Salt	0.005	Kg.	0.030	216.00	6.48
24	Coriander Powder	0.002	Kg.	0.150	16.50	2.48
25	transpotation charges rs. 1/-per kg		kg	0.060	230.00	13.80
				20.000	1.00	20.00
	Total					**1,014.91**

सहायक निदेशक (छात्रावास)

संयुक्त निदेशक (योजना)

अतिरिक्त निदेशक (अनु. जाति/जनजाति कल्याण)

वित्तीय सलाहकार

निदेशक 26.3.15